मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 (अग्रहायण 9, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, डॉ. सुनीलम् तथा श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला सदस्य समाजवादी पार्टी द्वारा प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक -20) "प्रदेश में विद्युत की कमी" पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 40 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी के अन्तर्गत बाबई तहसील में अवैध उत्खनन होने,

(2) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने बालाघाट जिले के परसवाड़ा विकास खंड के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण स्कूल न होने

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले की तहसील हनुमना एवं मऊगंज को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप राहत राशि का प्रदाय न होने,

(4) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार होने,

(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने खंडवा जिले के पुनासा विकास खण्ड मूंदी में म.प्र. विद्युत मंडल सब स्टेशन न बनाये जाने,

(6) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने मुरैना विकास खंड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियुक्ति न किये जाने,

(7) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सदस्य ने रीवा जिले के सम्सत जनपद पंचायतों को खाद्य सामग्री प्रदाय न करने,

(8) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अटेर में भवन निर्माण/चिकित्सकों के रिक्त पद एवं दवाईयों की कमी से ग्रामीणों में असन्तोष होने, तथा

(9) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी जिले के ग्राम गणेशपुर के विकास खंड बड़वारा में हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(1) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 2 सन् 2004);

(2) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 3 सन् 2004);

(3) मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004);

(4) मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 5 सन् 2004); तथा

(5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 6 सन् 2004) पटल पर रखे।

4. जून-जुलाई, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने जून-जुलाई, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

5. नियम 267-क के अधीन सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जून-जुलाई, 2004 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित तीन विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2004 (क्रमांक 12 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2004)

(2) मध्यप्रदेश गौ सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2004)

(3) मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2004)

7. ध्यानार्कषण

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले की मुख्य नहर की अम्बाह-सबलगढ़ शाखा में सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, मंत्री जल संसाधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी।)

8. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) सुश्री कुसुम सिंह
(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़
(3) श्री हिम्मत कोठारी
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार
(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(6) श्री बुन्देला विजय बहादुर सिंह

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रदेश में विद्युत की कमी एवं प्रस्तावित दर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा उठाई तथा अपना भाषण प्रारम्भ कर पूर्ण किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लाल सिंह आर्य
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(भाषण अपूर्ण)

(1.02 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

12. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	शासकीय विधेयक/अन्य कार्य	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004)	30 मिनट
(2)	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004)	1 घन्टा 30 मिनट
(3)	वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन विचार एवं पारण	2 घन्टे 30 मिनट
(4)	प्रदेश में विद्युत की कमी एवं प्रस्तावित दर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 139 के अधीन श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य की सूचना पर चर्चा.	1 घन्टा 30 मिनट
(5)	प्रदेश में खाद, बीज की कमी एवं नकली खाद बीज विक्रय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम -139 के अधीन श्री आरिफ अकील तथा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्यों की सूचना पर चर्चा.	1 घन्टा 30 मिनट
(6)	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003	2 घन्टे
(7)	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी दशम् प्रतिवेदन वर्ष 2003	2 घन्टे

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार -

दिनांक 1 एवं 2 दिसम्बर, 2004 को सभा की बैठक न रखी जाय. इसके स्थान पर शनिवार दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 को बैठक रखी जाय।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

प्रदेश में विद्युत की कमी एवं प्रस्तावित दर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हुई पुनर्ग्रहीत चर्चा में श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया तथा निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(5) श्री भूपेन्द्र आर्य
(6) श्री प्रदीप जायसवाल
(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(8) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

4.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 15, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.